Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देहरी केम्प नारसल्या

नारायण लाल बनाम तहसीलदार देहरी

किस्म मुकदमा राजस्ववाद 88 रा.का.अ. न. 72 सन 2016

2016/00184

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/16	प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि मौजा नारसल्या के पुराने ख.नं. 396, 177, 178 कुल रकबा 37.17 बीघा के हाल ख.नं. 1443 से 1448, 1452, 1964, 1446/2593 कुल रकबा 5.96 हेक्टर विद्यमान है। प्रार्थी का पिता लालचंद पुत्र विरखराज के नाम इन्द्राज थी उनके स्वर्गवास होने पर विरासत का नामांतरकरण क्र. 409 दिनांक 03.05.1971 को स्वीकृत हुआ था। उक्त नामान्तरकरण के प्रार्थी का भाई रेवाशंकर का नाम दर्ज किया परन्तु प्रार्थी के नाम के स्थान पर --- अंकित कर दिया परन्तु नाम दर्ज नहीं किया था। प्रार्थी व रेवाशंकर सगे भाई है जिसके प्रमाण में अन्य खातेदारी भूमि ख.नं. 1780 से 1790, 1792, 1793 कुल रकबा 7.90 हेक्टर में दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण 409 में भूलवश नाम अंकित करने रह गया था। उसमें प्रार्थी के नाम दर्ज कराने हेतु प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दो गवाह PW1 श्यामसुन्दर पुत्र सत्यनारायण व PW-2 नरेश कुमार पुत्र शिवराम के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रार्थी द्वारा अपने भाई रेवाशंकर के बयान कराने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में बिना कोई ठोस आधार पर मौजा नारसल्या के ख.नं. 1443 से 1448, 1452, 1964, 1446/2593 में प्रार्थी का नाम दर्ज करना उचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नंबर व तारीख अहकाम की तामील
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना कोई सहखातेदार की सहमति व [illegible] एवं आधार प्रस्तुत नहीं करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इन्द्राज [illegible] शुमार होकर शामिल रिकॉर्ड हो।	
	SDO	
	उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	